## पत्रांक 🔭 🗸 आयु०क० उत्तरा० / विधि—अनुभाग / वाणिज्य कर / देहरादून / 2008—09

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड (विधि—अनुभाग) दिनांक ः देहरादुन &८—जून '08

समस्त डिप्टी किमश्नर, वाणिज्य कर समस्त असिस्टेन्ट किमश्नर, वाणिज्य कर समस्त वाणिज्य कर अधिकारी

(1) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बबल गम(Bubble-gum) पर करदेयता का मामला प्रस्तुत हुआ। इस सम्बन्ध में दिये गए निर्णय "commissioner of Trade Tax, U.P Vs Associated Distributors Ltd., 2008 NTN (vol-37)-1" में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपना मत निम्न प्रकार दिया गया है।

"In pappu Sweets (supra), this court in order to give meaning to the notification issued by the State of Uttar Pradesh has laid great emphasis on the common parlance test. The court gave an apt illustration of a toffee. Toffee in the country of origin may be considered as sweetmeat but it cannot be considered as mithai in this part of the country (Uttar Pradesh). Similarly, by no stretch of imagination, can Bubble-gum be considered as mithai in the State of Uttar Pradesh. Consequently, 'Bubble-gum' is taxable as an unclassified good."

इसी क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह मत भी व्यक्त किया गया है-

"The words used in the provision, imposing taxes or granting exemption should be understood in the same way in which these are understood in ordinary parlance in the area in which the law is in force or by the people who ordinarily deal with them."

(2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष "satilon brand cookware" पर करदेयता का मामला प्रस्तुत हुआ। इस सम्बन्ध में दिये गए निर्णय "Hawkins cookers Limited Vs State of Kerala, 2008 NTN (vol-37) -15" में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपना मत निम्न प्रकार दिया गया है।

"We are in agreement with the view taken by the Tribunal as well as the High Court that "satelon coated aluminium products" are not indentical with "aluminium household utensils made of aluminium and aluminium alloys". The coating of satilon makes all the difference to the product. The Tribunal has further recorded a finding that in trade parlance, no one would describe satilon coated aluminium products as aluminium household utensils.

We do not agree with the submission made on behalf of the assessee that coating of satilon on the surface of the metal product does not bring about any change in the nature and utility of the product. By no stretch of imagination, satilon coated cookware can be treated as ordinary aluminium household utensils. Price of the satilon coated cookware is much more than the aluminium household utensils made of aluminium and its alloys. The Hawkins

cookware sold by the assessee cannot be categorized as household utensils made of aluminium for the reasons that the satilon coating makes the goods non-sticky and hence different from the aluminium household utensils. In common parlance, Hawkins cookware with satilon coating is not understood as aluminium ware."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये निर्णयों में प्रतिपादित सिद्वान्तों का आवश्यकतानुसार उपयोग करना सुनिश्चित करें।

> (एल०एम० पन्त) आयुक्त कर उत्तराखण्ड,देहरादून।

748

पु0प0सं0 दिनांक :: उक्त ::

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।

3- एडिशनल किमश्नर वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून / कुमाऊँ जोन रुद्रपुर।

4- एडिशनल किमश्नर (आडिट) / प्रर्वतन वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।

6- समस्त ज्याइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार /काशीपुर /हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिऐशन/उद्योग व व्यापार संगठन के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6- ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून / हल्द्वानी।

7- ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि०अनु०शा० / प्र०) वाणिज्य कर हरिद्वार / रुद्रपुर।

- विषेठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० सिववालय परिसर देहराँदून को इस आशय में प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
- 9- पोर्टल प्रबन्धक, उत्तरा पोर्टल जी०ओ०यू० परियोजना कार्यालय, आई०आई०टी० रूडकी ।
- 10— श्री सीoएसoबनर्जी, वाणिज्य कर अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों / अधिवक्ताओं को ई—मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
- 11— नेशनल लॉ हाउस बी-2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।
- 12- नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस-15/5 राजनगर गाजियाबाद।
- 13— लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड राजनगर गाजियाबाद।
- 14- कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
- 15— विधि अनुभाग की गार्ड फाइल हेत्।

अायुक्त कर, अत्तराखण्ड,देहरादून।